

न्यूज गैलरी

कवर्धा तनाव भाजपा की साजिश

रायपुर/नवप्रदेश। कौंसिल सचिव विभागे के अध्यक्ष सुशील आनंद जुहूला ने कवर्धा सांख्यिक तनाव मामले में बीजेपी नेता विजय शर्मा के आक्रमकता को आत्मसात् करने का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि कवर्धा में उनके और भाजपा नेताओं के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के कृत्य से कवर्धा का माहौल खराब हुआ। शांति और अमन की नगरी कवर्धा भाजपा के षड्यंत्र के चलते बदनाम हुई। शहर में तोड़फूट हुआ। व्यापार का नुकसान हुआ। संभवतः पाप बोध से भरे विजय शर्मा ने आत्मत्याग के कारण अपने वाक्य साक्षियों के साथ आत्मसमर्पण किया। कौंसिल चलेते दिने से कर रही थी कि कवर्धा में भाजपा जस्ता पार्टी ने सुनिश्चित तरीके से रंग भड़काना था। भाजपा के 5 पदचिह्नकारियों के समर्थन से यह साबित हो गया कि कौंसिल के आरोप सही थी। दुर्ग के अहंडी ने भी खुलासा किया था कि भाजपा ने कवर्धा के बाहर से भाजपा आरएसएस संघ के कार्यकर्ताओं को बुला कर माहौल को खराब करने का काम किया था।

वालफोर्ट हाइड्रेस फेज टू की लॉन्चिंग में अब तक 250 से अधिक बुकिंग

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध बिल्डिंग एस्टेट कम्पनी वालफोर्ट ग्रुप के नए प्रोजेक्ट वालफोर्ट हाइड्रेस फेज-2 की लॉन्चिंग के दूसरे दिन भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कंपनी के डायरेक्टर पंकज लाहोटी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में अब तक 250 से अधिक बुकिंग हो चुकी है। यह हमारे ग्रुप के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मल्टीस्टोरी फ्लैट्स को भी सारी सुविधाओं के साथ मिलने वाला यह एक अनेका प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 से अधिक अपार्टमेंट्स लोगों को बजट में मिल रहे हैं। कंपनी के डायरेक्टर अमित पाखर ने बताया कि फर्स्टवे फ्लैट्स में अपा रैपिड बुकिंग और अपने परिवार को सबसे बेहतर निवास दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि कवर्धा चैट को भी 100 से अधिक बुकिंगों के साथ देना का यह एक सफेद सुहारा अवसर है। उसमें भी सबसे अच्छा बात यह है कि लॉन्चिंग उत्सव में बुकिंग करने पर करीब 2.5 लाख रुपये का फायदा मिल रहा है। वालफोर्ट हाइड्रेस के दूसरे दिन भी लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वॉलफोर्ट ग्रुप, स्वीडिश, गुगल, क्लब हाउस, जिम, क्रिकेट ग्राउंड जैसी बेहतरीन सुविधाएं देकर ही कोई कह रहा है कि सबकुछ यहीं है, वालफोर्ट हाइड्रेस सही है।

व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के 7 हजार 188 पदों पर न्युक्ति तल न्युक्ति

रायपुर/नवप्रदेश। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सत्र 2019 में 14 हजार 580 शिक्षकों की भरती के लिए विभाग जारी कर व्यापक द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। चयन प्रक्रिया कोरेंट नवधारी के कारण प्रभावित हुई थी, कोविड महामारी की विषय परिस्थितियों के बावजूद भी अब तक व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के कुल 7 हजार 188 पदों में न्युक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार व्याख्याता के विज्ञापित 3 हजार 177 पद में से 2 हजार 894 पदों में न्युक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। इसी तरह शिक्षक के 5 हजार 897 विज्ञापित पद में से 2 हजार 110 पदों में न्युक्ति आदेश जारी किया जा चुका है साथ ही सहायक शिक्षकों के विज्ञापित पद 5 हजार 506 पद में से 2 हजार 184 पदों में न्युक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। ज्ञात हो कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका में स्थान आदेश प्रभावशील होने के कारण बस्तर, सरगुजा संभाग के जिले और कोरवा जिले को मिलाकर कुल 14 जिलों में सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों में न्युक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। एक अन्य याचिका में सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाए जाने के आदेश प्रभावशील होने के कारण सत्र पदों पर चयनवार न्युक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में शासन के द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। भर्ती प्रक्रिया संबंधित याचिकाओं में अनुमति प्राप्त होने पर न्युक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

ई-मेगा लीगल सर्विस केम्प का आयोजन आज

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के प्रमुख न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायाधीश श्री अमर कुमार गोस्वामी 24 अक्टूबर रविवार को सुबह 10.30 बजे राज्य के सभी 23 जिले (विशेष में) होने वाले ई-मेगा लीगल सर्विस केम्प का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित करेंगे। कांफ्रेंस की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री गोपाल भास्कर करेंगे। कांफ्रेंस में विभिन्न अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल रहेंगे। यह आयोजन राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण और आउटरीच प्रोग्राम के तत्वावर में किया जा रहा है। यह आयोजन न्यायालय परिसर, रायपुर में सुबह 10.30 बजे से होगा। इस आयोजन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर श्री अनिल कुमार वर्मा, कलेक्टर श्री सीधु कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल भी शामिल होंगे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी।

ई-मेगा लीगल सर्विस केम्प का आयोजन आज

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के प्रमुख न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायाधीश श्री अमर कुमार गोस्वामी 24 अक्टूबर रविवार को सुबह 10.30 बजे राज्य के सभी 23 जिले (विशेष में) होने वाले ई-मेगा लीगल सर्विस केम्प का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित करेंगे। कांफ्रेंस की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री गोपाल भास्कर करेंगे। कांफ्रेंस में विभिन्न अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल रहेंगे। यह आयोजन राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण और आउटरीच प्रोग्राम के तत्वावर में किया जा रहा है। यह आयोजन न्यायालय परिसर, रायपुर में सुबह 10.30 बजे से होगा। इस आयोजन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर श्री अनिल कुमार वर्मा, कलेक्टर श्री सीधु कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल भी शामिल होंगे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी।

इंस्पायर अवार्ड के लिए अब तक 53 हजार से अधिक प्रतिभागियों का पंजीयन

रायपुर/नवप्रदेश। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और रुझान बढ़ाने, उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क क्षमता का विकास करने नन्ने बाबत वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य के 14 हजार 520 विद्यार्थियों के पूर्व माध्यमिक और हाई स्कूल स्तर की कक्षा 6वीं से 10वीं तक के होनावर बालक-बालिकाओं से सत्र 2021-22 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन कायदा जा रहा है। आयुक्त शिक्षा डॉ. कमलप्रतीत सिंह ने शिक्षा सत्र 2021-22 में राज्य के सभी पूर्व माध्यमिक विद्यालयों और हाई स्कूल के कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों की अधिक से अधिक संख्या में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में शामिल करने के लिए 70 हजार प्रतिभागियों के नामांकन का कार्य किया है। कृत्य के विस्तृत अवक 53 हजार 398 प्रतिभागियों का पंजीयन हो चुका है। डॉ. कमलप्रतीत सिंह ने बताया कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का स्वयंसेवाकारी संस्थान (एनआईएसटी) के द्वारा संचालित है। इसमें राज्य के सभी विद्यालयों से कक्षा छठवीं से दसवीं तक के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं।

सरगुजा से लेकर बस्तर तक आदिवासी संस्कृतियों की दिखेगी झलक

28 से 30 अक्टूबर तक होगा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन

रायपुर/नवप्रदेश। नृत्य वह संगम है। नृत्य वह संगम है। जिसमें न स्फिरसूर और ताल का लय समाया है, अस्मिन् जीवन की यह सच्चाई भी समाई हुई है जो हमें अपने उत्साह और खुशियों के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। नृत्य मुद्राओं, भाव-परिभाषाओं और भावनाओं, रूप-रसों के साथ खुशियों की वह अभिव्यक्ति भी है जो नृत्य करने वालों से लेकर इसे देखने वालों के अंतर्मन में उत्कर्ष उठे इस तरह हमने को मजबूर कर देता है कि शरीर का रोम-रोम ही नहीं सारे अंग झूम उठते हैं।

छत्तीसगढ़ की संस्कृति

छत्तीसगढ़ की भी अपनी अलग संस्कृति और पहचान है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक वहाँ की प्रकृति में समग्र नदी-नालों, झरनों, जलप्रपातों की अविश्वराली बाहरी धाराओं की कलकल, झड़प की गूंज हो या बाढ़ियां में टिप-टिप गिरती पानी की चूल्हा से उठने में रौद बढ़ती नदियों की धारा, रात जंगल में पछियों का कलरव हो या छोटी-छोटी चिड़ियों की चंचलकल, पत्तों, घने जंगलों से आती सरसराती हवाएं हो या फिर वन्य जीवों की खीपनाक आवाजें, भीरों की गूंजन, कोड़े-मकोड़े, झोंगों की आवाज से लेकर पक्षी से मिलते हुए पत्तों और सारे से हवा चलने पर दूर-दूर तक फैले पत्तों की सरसराह सख्त बड़े ऐसी तरह है जो सरगुजा से लेकर बस्तर के बीच जंगलों में नैसर्गिक और



खुबसूरत दृश्यों के साथ समाई है। भले ही हम इन प्रकृति और प्रकृति के बीच से उठती धुनों की भाषाओं को समझ नहीं पाते, लेकिन इनके बीच कुछ पल वक गुजराने से ऐसा महसूस होता है कि जंगलों, नदी, पर्वतों, वन्य जीवों की भी सुख-दुःख से जुड़ी अनर्गल कहानियां हैं जो अपनी भाषाओं, अपनी शैलियों में गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और इनका यह गीत और नृत्य इनके आसपास रहने वाले जनजातियों की संस्कृति में घुल-मिलकर वाद यंत्रों के सहारे हमें नृत्य के साथ देखने और समझने को मिलता है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ

छत्तीसगढ़ की संस्कृति का दर्शन करने के साथ हमें जीवन की कई चुनौतियों से लड़ने और खुशी के अलावा विषम परिस्थितियों में भी जीवन यापन करने की प्रेरणा और संदेश देने वाले आदिवासी समाज के नृत्य, संगीत और गीत से एक बार फिर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से देशभर के लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजधानी रायपुर में एक बार फिर 28 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन साइंस कालेज मैदान में किया जा रहा है। महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

इस महोत्सव में देशभर के अलग-अलग राज्यों से कलाकार जनजाति समाज सहित अन्य परिवेश के नृत्यों की रंगीर प्रस्तुतियां देंगे। संस्कृति की ही अभिव्यक्ति के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नृत्य संसार में बहुत प्राचीन और समृद्धाली होते हुए लोक कथाओं से जुड़े हैं। जौकि मोजोरन मात्र के लिए नहीं है। इन नृत्यों में आस्था, विश्वास और धार्मिक कथाओं का संगम भी है। आदिवासी समाज द्वारा अपने विशिष्ट प्रकार के नृत्यों का अभ्यास कर विभिन्न अवसरों पर जैसे- ब्रह्मों के स्वागत, परिवार में बच्चों के जन्म, विवाह सहित अन्य बहुत से पूर्व को उद्घाटन के साथ नृत्य करने के लिए गीत गाये जाते हैं और नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है।

कोविड वायरस परिवार में छह सदस्य, मौसम-वातावरण के अनुरूप हो रहे बदलाव

रिवाज समय में लेव तैयार करने, वैक्सिनेशन और कोविन एप से भारत अब सुरक्षित देशों की श्रेणी में



रायपुर/नवप्रदेश।

कोविड वायरस की उत्पत्ति और इसमें हो रहे बदलावों पर देशभर के प्रमुख माइक्रोबायोलॉजिस्टों ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित सीएमएफ के दौरान विमर्श किया। इस अवसर पर वायरस के फैलने, इसकी रोकथाम के लिए वैक्सिनेशन विवरित करने और कोविन एप से वैक्सिनेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के अनुभव साझा किए गए। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने बताया कि कोविड वायरस परिवार के छह सदस्य हैं जिनमें मौसम और वातावरण के अनुसार बदलाव हो रहा है। अतः कोविड संबंधी सुरक्षा उपायों को अभी भी अपनाए जाने की आवश्यकता है।

देशभर के माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कोविड वायरस पर किया चर्चा, उत्पत्ति की संभावनाओं पर विमर्श

डॉ. प्रिया अग्रवाल का कहना था कि टीएम में पहले कोविड सैपल उनकी टीम ने जांच के बाद पॉलीटेड पाया था। उसके बाद से अब तक देशभर में वायरसों की लैब की चैन बनाने, इसके जांच और इलाज की सुविधाएं प्रदान करने और कोविन एप की मदद से वैक्सिनेशन को आसान बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कोविड के बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के बारे में भी चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि कोविड परिवार के छह सदस्य हैं जो मौसम और वातावरण के अनुसार वायरसों की लैब एनवायरनमेंट, न्यू के निरीक्षण निरीक्षण को बदल रहे हैं। (सीटी) मिनट

धन्वंतरी मेडिकल खुलने से गरीबों को मिलेगी सुविधा

सरकार की इस पहल से आम जनता को मिल रही राहत



शुगर की 70 रूपए की दवाई 26 रूपए और ब्लाड प्रेशर की दवाई 41 रूपए में

रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर शहर में दो धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से जनसाधारण स्टोर्स कंपनी की गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह 20 अक्टूबर को शुक्रवार की भूषण बेल्ट द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही इन मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से सभी रोगी एवं जबरनसुख लोगों को सस्ती दवा मिलने से इसका फायदा मिलने लगा है।

दवाई 26 रूपए और ब्लाड प्रेशर की दवाई 41 रूपए में

इससे पहले की कमी से विभिन्न जिलों में धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही इन मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से सभी रोगी एवं जबरनसुख लोगों को सस्ती दवा मिलने से इसका फायदा मिलने लगा है।

कवर्धा मामले का आरोपी विजय शर्मा को किया गया सेंट्रल जेल शिफ्ट

विषय के आवाज को दबाने का लया आरोप



रायपुर/नवप्रदेश।

कवर्धा मामले के आरोपी भाजपा के कवर्धा में सुनकरवा को ही कवर्धा में सजा दिया गया। जिसके बाद देर रात करीब 2 बजे रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं को जैसे इसकी सूचना मिली तो कार्यकर्ता रायपुर सेंट्रल जेल के सामने रात ही इकट्ठे हो कर सरकार के खिलाफ जबरन नारेबाजी और विजय शर्मा के समर्थन में भी नारे लगाए।

भाजपा प्रवक्ता अग्रवाल अग्रवाल ने कहा कि अधिकार किस उद्देश्य से भाजपा नेता को देर रात 1 बजे कवर्धा से रायपुर सेंट्रल जेल लाया गया, ये समझ से परे है। जबकि शनिवार को ही कवर्धा न्यायालय में पेशी थी। अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विषय की आवाज को दबाने के लिए भाजपा नेताओं के साथ अत्याचारियों जैसा व्यवहार कर रही है, जो किसी भी हदगत में स्वीकार्य नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार विजय शर्मा की जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट की गई है। जिस पर अदालत सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि संभवतः को विजय शर्मा को जमानत मिल सकती है। अब सभी की नजर कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है।

किया अनेका प्रदर्शन, 63 से कर रहे हड़ताल

रायपुर/नवप्रदेश। वैधिक मामलों कोरना वायरस जब पूरी दुनिया का चोट में ले रहा था तब कोरना के प्रंट लाइन वायरस हर दिन अपनी जान हथेली पर रख इस वायरस से लड़ रहे हैं। कुछ ने तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस युद्ध में जान तक न्योकर कर दी है। लेकिन जैसे ही वायरस की रस्ता कम होने लगी वैसी ही उन्हें नेकरी से निकाल दिया। इस बात से गुस्साएं प्रंट लाइन वायरस 63 दिनों से हड़ताल पर उठे हैं। इसी कड़ी में उनका अनेका प्रदर्शन देखने को मिला।

पुलिस टीम ने किया 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार

कर्मचारियों के इस प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों से पुलिस अस्तरों ने कहा कि जो सड़क को बाम न करें। पुलिस अधिकारियों ने समझाया कि कोरना वायरस प्रदर्शन बंद करके रास्ता खाली कर दें। ये प्रदर्शन



अनुसलव होने के कारण ज्यादा बाम नहीं रहा। पुलिस पुलिस उनके प्रति सख्त रहा। बीच बहस से हटने को कोरना वायरस रोजी नहीं हुए और इसके चलते उनकी पुलिस से अच्छी-खराब हो गई। ना मानने की स्थिति में पुलिस ने कोरना ने 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन सेंट्रल जेल से जाया गया है। बात है कि बाम बूझ की मंग को लेकर पुलिस 60 दिनों से अधिक समय से ओटोलन कर रहे हैं ओटोलनकारियों को काफ़ी दिक्कों का सामना करना पड़ रहा है।

हुक्का बार सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में आई रायपुर पुलिस, देर रात हुक्का बार में मारे ताबड़तोड़ छापे, मवा हड़कंप

वीआईपी रोड का इलाका बन गया हुक्का हब, सख्त कार्रवा ज़रूरत

रायपुर/नवप्रदेश।

भूषण बघेल ने आईजी-एसी कोरिस में हुक्के को लेकर कड़े तैयार दिखाने कहा। उन्होंने राजधानी समेत पूरे प्रदेश में इसे बंद करने का निर्देश दिया। कोरिस खल होते ही देर रात पुलिस हड़कंप में आई है। हुक्का कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बंद करने के अभियान में जुट गईं।



राजधानी रायपुर के तेलीबाबा वीआईपीरोड और खमरौड़ा क्षेत्र में तक्रोरीन अवसर दर्जन के और रेस्टोर्ट में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जिसमें से 4 स्थानों में बड़ी संख्या में युवक-युवती हुक्का पीते मिले। इन स्थानों में पुलिस ने तक्रोरीन उमर दर्जन से ज्यादा हुक्का पीते ही जता किया है। मिली जानकारी के मुताबिक हफ एड हफ केफे, ब्याट अर्थ

केफे, मिनिस्ट्री केफे, स्काई लॉन्च और एपार्ट केफे में पुलिस ने दर्जन दर्जन बड़े संख्या में हुक्का खा किया है। यहां खुलासा हुआ पार्टी के लिए नौजवान युवक लड़कियां लुट रहे हैं और बंद कर रहे हैं। हुक्का पीते वाले इन लड़कों और लड़कियों को ही पुलिस ने सख्ती के साथ फटकार लगाई है। साथ ही उनसे उनके



परिजनों के मोहल्ले नंबर, पा भी पुलिस ने कार्रवाई किया है। रायपुर पुलिस को सीएम से मिली शाबाशी



इस रायपुर पुलिस को इस ताबड़तोड़ छापेमारी से प्रदेश का मुखिया खुश करते पुलिस टीम की पीठ भी बरफपाई है। रायपुर

रहा है। हालांकि राजधानी में पिछले 2 वर्षों में पुलिस एक दर्जन से अधिक हुक्का बार पर छापे मार चुकी है लेकिन एक-दो दिन सील रहने के बाद कारोबारी मामूली जुमले देकर वापस फिर से खोल लेते हैं। पुलिस भी कई बार छापे मार चुकी, बावजूद एक भी हुक्का बार बंद नहीं हुआ है। पुलिस की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में, नियम-कायदे लगीला होने के कारण कारोबारी बंद हो दिनें में ही दुकान खोल लेता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हुक्का बार बंद करने के लिए सख्त कार्रवाई को जरूरत है। क्या होता कोटा-2003 एड और क्या जुर्माना हुक्का बार में छापे के बाद पुलिस कोटा-2003 एड के तहत जुर्माना करती है या मामला कोर्ट में पेश कर देती है। आरोपी थोड़े जुमले के बाद बंद जाते हैं। कई बार तो हुक्का बार वालों को धाने से ही छोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए सख्ती नहीं हो पा रही है। शहर में अधिकतर हुक्का बार गुमरास्ता लाइसेंस से चल रहे हैं। फतेवर एलने हुक्का की माने तो, हुक्का बार रोकने में

